राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांक प. 15(44)ऊर्जा/2015 जयपुर दिनांक 2/6/16

आदेश

जोधपुर विद्युत वितरण निगम (लाडनू) अन्तरण स्कीम । 2016 के राजस्थान सरकार, ऊर्जा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.05.2016 के खण्ड 5 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त स्कीम की शर्तों के तहत कार्मिकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु निम्नांकित की एक समिति गठित करती है :-

1. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
3. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

समिति का वरिष्ठतम सदस्य संयोजक होगा।

सुजानगढ़ डिवीजन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अजमेर विद्युत वितरण निगम में अनन्तिम स्थानान्तरण तथा समावेशन के विरूद्ध अभ्यावेदन देना चाहता है तो उस कम्पनी के विभागाध्यक्ष के माध्यम से संलग्न परिशिष्ठ – 1 में अभ्यावेदन कर सकता है। अभ्यावेदन, समिति के संयोजक को सम्बोधित होना चाहिए तथा इस आदेश के जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जाये।

विभागाध्यक्ष अपनी राय अंकित करें और तब इन अभ्यावेदनों को समिति के संयोजक को भेजे ताकि इन आदेशों के जारी होने के 45 दिवस के अन्दर समिति को प्राप्त हो जायें।

समिति विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों पर अन्तरण स्कीम प्रावधानों के तहत विचार करेगी तथा सम्बन्धित अन्तरण स्कीम की अनुसूचियों में परिवर्तन के लिए अपनी सिफारिश ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार को करेगी। ये सिफारिश इस आदेश के जारी होने के 90 दिवस के अन्दर की जायेगी। समिति को उक्त सिफारिशें करने के कारणों को लिखित में अंकित करना आवश्यक होगा।

सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त अभ्यावेदन निर्धारित समय में विभागाध्यक्ष की राय के साथ समिति के संयोजक को पहुंच जायें।

राज्यपाल के आदेश से,

26/6/16

(यू0 डी0 खान)

संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित कर निवेदन है कि इन आदेशों को अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं मीडिया में विस्तृत रूप से प्रसारित करें :-

1. अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
2. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
3. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

26/6/16

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ठ –1

जोधपुर विद्युत वितरण निगम (लाडनू) अन्तरण स्कीम 2016 के राजस्थान सरकार, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना के खण्ड-5 के उप खण्ड (2) के अधीन अभ्यावेदन

श्रीमान् संयोजक,
अभ्यावेदन समिति,
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर

मैं, उक्त अन्तरण स्कीम नियम के अनुसार अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी में मेरे वर्तमान अनन्तिम समावेशन के संबंध में इसके द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता हूँ।

1. कर्मचारी का नाम ....
2. कर्मचारी का पदनाम..
3. पिता/पति का नाम ....
4. जन्म तिथि ....
5. अर्हताए
   शैक्षिक ....
   तकनीकी..
6. वर्तमान पदस्थापन स्थान..
7. नियुक्ति की तिथि ....
   जोधपुर विद्युत वितरण निगम में ....
   वर्तमान पद पर ....
   वर्तमान क्षेत्र/इकाई में ....
8. अभ्यावेदन के कारण ....
....
....

11. कार्य के अनुभव का विवरण :

क्षेत्र/क्रियाकलाप	सेवा की अवधि		
	दिनांक से	दिनांक तक	कुल वर्ष
अजमेर विद्युत वितरण निगम			
जोधपुर विद्युत वितरण निगम			
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

मै इसके द्वारा प्रमाणितशपथ करता हू कि दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण रुप से सत्य एवं सही है । मैं ऊपर दी गयी किसी भी मिथ्या और असत्य सूचना के लिए पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने का भी वचन देता हूँ ।

दिनांक :

हस्ताक्षर
कर्मचारी का पूरा नाम
पदनाम और पता

विभागाध्यक्ष की अनुशंसा

1. कर्मचारी की दक्षता एवं अनुभव
2. कर्मचारीयों के सापेक्ष में विभाग की आवश्यकता का विवरण
3. कोई अन्य विवरण जिसका उल्लेख सामयिक हो

दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम
पद
कार्यालय की मुहर